सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

मेरठ।

महोदय,

आज दिनांक 15.12.2022 को माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.12.2022 के अनुपालन में अध्यक्ष, नीलाम समिति, जनपद न्यायालय, मेरठ के विश्राम कक्ष में नीलाम समिति की बैठक सम्पन्न हुई। आज की बैठक में मेरे अलावा श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी, सदस्य, नीलाम समिति एवं श्री हरीराम, सदस्य, नीलाम समिति उपस्थित हुए।

आज की बैठक में न्यायालय परिसर में हैरीटेज भवन के सामने टूटे हुये नीम का पेड़ की खुली बोली पद्धति के अनुसार कराये जाने का विचार विमर्श किया गया।

राजकीय कोष में अधिकाधिक धनराशि प्राप्त किये जाने तथा नीलाम प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नीम के पेड़ की बोली खुली नीलाम बोली पद्धति द्वारा करायी जाये तथा नीलाम का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ, नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ , नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण तथा नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ पर चस्पा कराये जाने की भी सर्वसम्मति व्यक्त की गयी एवं बोली के सम्बन्ध में समुचित सूचना निःशुल्क समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय की बेवसाईट पर भी अपलोड किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

आख्या नीलामी की शर्तों सहित माननीय महोदय की सेवा में सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाती है।

15/12/22 15/12/22 15/12/22

(हरीराम)
सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, मेरठ।

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मेरठ।

(सुरेश चन्द–।।)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ।

Approved.
15/12/22

नीलामी की शर्तें

दिनांक 07.01.2023 को न्यायालय परिसर में हैरीटेज भवन के सामने टूट गये नीम के पेड़ की खुली बोली पद्धति द्वारा नीलामी की जानी है, जिसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तों का पालन करना होगा।

1. नीलामी, जनपद न्यायालय, मेरठ के चौदह न्यायालय भवन के मीटिंग हॉल में दिनांक 07.01.2023 को समय 04:30 बजे अपराहन नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी।
2. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके नाम पर छोड़ी जायेगी।
3. नीलाम प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के तौर पर अंकन 1,000—00 रू0 की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में तैयार कराकर बोली से पूर्व कैशियर, सिविल कोर्ट के पास जमा करना होगा।
4. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे सम्बन्धित वृक्ष के पातन हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी जिसके लिये क्रेता को आवश्यक पातन शुल्क अंकन 100—00 रू0 जमा कराते हुये नियमानुसार अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा। काटे गये पौधे के स्थान पर 10 गुना फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किये जाने हेतु अंकन 1000—00रू0 के राष्ट्रीय बचत पत्र प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के पक्ष में देय हो, को वन विभाग में जमा करना होगा।
5. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित पेड़ का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
6. बोली जहां है, जैसा है, के आधार पर होगी।
7. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी, उसे शेष भुगतान दिनांक 07.01.2023 को ही जमा करना होगा।
8. प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाताओं को छोडकर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि उसी ही दिन वापस कर दी जायेगी।
9. बोली की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।
10. उक्त पेड़ को काटने व ले जाने का समस्त व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा।
11. नीलाम को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्थगित एवं रद्द करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
12. बोलीदाता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्कों को जमा किये जाने के पश्चात ही पेड़ की लकड़ियों को ले जाया जायेगा।

शर्तों की प्रति ससम्मान माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

	15/12/22	15/12/22
(हरीराम) सदस्य, नीलाम समिति/ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।	(ब्रजेश मणि त्रिपाठी) सदस्य, नीलाम समिति/ विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), मेरठ।	(सुरेश चन्द–II) अध्यक्ष, नीलाम समिति/ अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, मेरठ।

Approved.
15/12/22